

फार्म “क”

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की
धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग-1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

क्र.सं.	विवरण	क्रियान्वयन
1.	<p>परियोजना विवरण :-</p> <p>क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।</p> <p>ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।</p> <p>ग) परियोजना की लागत।</p> <p>घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।</p> <p>ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)</p> <p>च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।</p>	<p>जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी में RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM) from Koruwa to Bairatkhai (Total Length-31.00 KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केविल विछाने हेतु।</p> <p>संलग्न है।</p> <p>रु0 186.00 लाख</p> <p>दूरसंचार सेवा प्रदान करना।</p> <p>लागू नहीं।</p> <p>प्रस्तावित परियोजना के निर्माण के दौरान रथानीय कुशल / अकुशल श्रमिकों को रोजगार मिलेगा।</p>
2.	कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण:-	0.93 हेक्टेन भूमि
3.	<p>परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है।</p> <p>क) परिवारों की संख्या</p> <p>ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या</p> <p>ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)</p>	<p>नहीं</p> <p>रहून्य</p> <p>रहून्य</p> <p>रहून्य</p>
4.	वया पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है? (हाँ/नहीं)	हाँ
5.	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड रखरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वर्चनवद्धता (वर्चनवद्धता संलग्न की जाए)	भारत सरकार / उत्तराखण्ड रासन द्वारा प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु लगायी जाने वाली समस्त शर्तों का पालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।
6.	निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों / दस्तावेजों का चौपाई।	संलग्न है।

दिनांक.....

स्थान.....

प्रयोक्ता (एजेन्सी) के हस्ताक्षर
नाम (Signature of Agent)



प्रस्ताव की क्रम संख्या.....
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

भाग - II

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

(संबन्धी उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

7.	परियोजना स्कीम का स्थान	परियोजना का नाम :—जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी के अन्तर्गत RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM) from Koruwa to Bairatkhai (Total Length-31 KM) तक मोटर 0.93 है। वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Punjab) को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।
(i)	राज्य / संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड राज्य
(ii)	जिला	देहरादून
(iii)	वन प्रभाग	चक्राता वन प्रभाग
(iv)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हैक्टेएर में)	0.93 हैक्टर वन भूमि
(v)	वन की कानूनी स्थिति	0.045 हैक्टर, आरक्षित वन भूमि 0.645 हैक्टर सिविल सोयम भूमि 0.24 हैक्टर (कैन्ट बोर्ड क्षेत्र)
(vi)	हरियाली का घनत्व	0.1
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिणामना (संलग्न की जाये)। सिंचाई/जलीय परियोजनानाओं के सम्बन्ध में एफ.आर.एल., एफ.आर.एल.-2 मीटर पर परिणाम और एफ.आर.एल.-4 मीटर भी संलग्न किये जाए)	प्रस्तावित कार्य स्थल पर कोई वृक्ष वाधित/प्रभावित होने निहित नहीं है।
(viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	— —
(ix)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	प्रस्तावित/चयनित कार्य स्थल आरक्षित, सिविल एवं सोयम वन एवं कैन्ट बोर्ड क्षेत्र के अन्तर्गत है।
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर, आदि का भाग है। (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाएं)	नहीं। इस बावत प्रस्तावक/कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्ताव के संलग्नक पृष्ठ सं 0 पर चर्चा है।
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन/ विशिष्ट प्रजातियां पायी जाती हैं। (यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	नहीं।
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्त्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठापन और कोई अन्य महत्वपूर्ण लगारक क्षेत्र ऐसी स्थित है। यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा संक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें।	नहीं। इस बावत प्रस्तावक / कार्यदायी संस्था एवं राजस्व विभाग द्वारा प्रस्ताव के संलग्नक पृष्ठ सं 0 पर चर्चा है।
8.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जाचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मद-वार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	इस बावत प्रस्तावक/ कार्यदायी संस्था एवं वन विभाग द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र प्रस्ताव के संलग्नक पृष्ठ सं 0 पर चर्चा है।

9.	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्रवाई सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	नहीं
10.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	अपेक्षित वन भूमि की मांग 1.00 है 0 से कम है। अतः प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त स्थानों पर उचित वृक्षारोपण का प्रावकलन प्रस्ताव के संलग्नक पृष्ठ सं0 -से पर चस्पा है।
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस पास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।	चूंकि अपेक्षित वन भूमि की मांग 1.00 है 0 से कम है। अतः प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त स्थानों पर उचित वृक्षारोपण का प्रावकलन प्रस्ताव के संलग्नक पृष्ठ सं0 -से पर चस्पा है।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर/अवक्रमित वन क्षेत्र, और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता भैप।	प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़ी भूमि पर उचित वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल को 1:50000 पैमाने के टोपोशीट मानवित्र पर प्रदर्शित किया गया है। तथा स्थलीय /लोकशन मानवित्र प्रावकलन के साथ संलग्न है।
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	प्रजातियां:- जलवायु के अनुरूप मिश्रित प्रजातियां। कार्यान्वयन एजेन्सी:- स्वयं वन विभाग। समय:- उच्च रत्त से स्वीकृति प्राप्त होने पर। लागत:- प्रस्तावित निर्माण कार्य के बदले प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त स्थानों पर उचित वृक्षारोपण हेतु रु0 3.54.020=42 (रु0 मात्र) का प्रावकलन प्रस्ताव के संलग्नक पृष्ठ सं0 - पर चस्पा है।
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिवर्यय।	हेतु रु0 3.54.020=42 (रु0 मात्र)
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	प्रावकलन एवं मानवित्र प्रतिहस्ताक्षरित व प्रमाणित है।
11.	उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 ; गपए गपपद्धर 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	फील्ड रत्त के अधीनरथ वन अधिकारियों, फील्ड स्टाफ, राजस्व एवं प्रस्तावक विभाग की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट प्रतिहस्ताक्षरित करके के संलग्नक पृष्ठ सं0 - पर चस्पा है।
12.	विभाग / जिला प्रोफाइल	चक्राता वन प्रभाग / जिला – देहरादून
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	308800 वर्ग कि0मी0
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	211691 वर्ग कि0मी0
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	कुल मामलों की संख्या 469 है। वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल 6333.92 है 0 वन क्षेत्र है 0 है। इसमें आरक्षित वन क्षेत्र 4308.09 है 0 है।
(iv)	1980 से जिला / प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि :- (ख) वनेतर भूमि पर:-	(क) 4308.09 हैवटेयर (ख) 768.59 हैवटेयर
(v)	अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति:- (क) वन भूमि पर (ख) वनेतर भूमि पर	(क) 4308.09 है 0 जिले के अंतर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जा चुका है। (ख) 768.59 हैवटेयर
13.	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिकारिश	प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रबन्धक क्षेत्र की तकनीकी एवं स्थानीय विधि एवं नियमों के परिप्रेक्ष में प्रस्तावक / कार्यादायी संस्था के स्तर पर करवाना होगा। अतः संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट एवं प्रस्ताव में विभिन्न रत्तों से प्राप्त प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के अनुसार प्रभाग रत्त से संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर

नाम:- (ट्रिप्पी चंद्र माला)
सरकारी मुहर उपायी दस्तावेज़

चक्राता वन
दस्तावेज़ (प्रभाग)

दिनांक: 14-11-2017
स्थान:-

उप-नियंत्रित वनानुसारी
चक्राता वन प्रभाग
सरकारी

भाग— ।।।

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

- 14— स्थल, जहां की वन भूमि शामिल की गयी है
क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण
किया है ? (हाँ / नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की
तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट
के रूप में संलग्न करें।
- 15— क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग—ख में दी गयी
सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से
सहमत है।
- 16— प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में
सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों
के साथ विशेष सिफारिशें।

हस्ताक्षरः

तिथि.....
स्थान.....

नाम और पदनाम
सरकारी मोहर

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष,
वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

- 17— टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने
या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की
विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।
(राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक
अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल
टिप्पणी की सुरक्षित समीक्षा की जाय
और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)

हस्ताक्षर:

तिथि :

स्थान :

नाम और पदनाम
सरकारी मोहर

भाग-V

(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो, द्वारा भरा जाना है)

17— राज्य सरकार की सिफारिशः

(उपर्युक्त भाग—II या भाग—III या

भाग-IV में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाए)

हस्ताक्षरः

तिथि :

स्थान :

नाम और पदनाम
सरकारी मोहर